

राशन कार्ड मे अतिरिक्त सदस्य का नाम जोड़ने/ काटने हेतु जरूरी दस्तावेज

समय सीमा 7 दिन

- 1 सभी सदस्यों के नवीनतम ग्रुप फोटो की दो प्रतियां।
- 2 मूल राशन कार्ड
- 3 फार्म का मूल्य एक रूपया।
- 4 निरीस्तीकरण प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र

सभी आवेदन पत्र निरीक्षक (खाद्य एवं पूर्ति विभाग ) के द्वारा ई-दिशा सेंटर से एकत्रित किए जायेंगे और फीस विभाग के खाते में जमा कर दी जाएगी